संख्या– 1/3/96– का–4– 2003

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4, **लखनऊ : दिनॉक : मई 12 ,2003**

विषय:– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

स्थानान्तरण सत्र–2003–2004 के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 21–4–2001 के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति को निम्न संशोधनों सहित वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में भी प्रभावी बनाये रखने का निर्णय लिया गया है:–

<u>प्रस्तर–2</u>

समूह "क" एवं "ख" के ऐसे अधिकारी, जो एक जनपद में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरित कर दिया जाय किन्तु लखनऊ स्थित विभागीय मुख्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नहीं होगे ।

<u>प्रस्तर–8</u>

प्रस्तर–8(3) के नीचे निम्न परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/ कार्यालयों में लागू होगे ।

(2) शासकीय विभागों में विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण मा0 मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किये जॉय ।

(3) स्थानान्तरण नीति से आच्छादित होने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनॉक 15 जून,2003 तक पूर्ण कर लिये जॉय ।

(4) अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनॉक 15 जून,2003 के उपरान्त किये जाने वाले स्थानान्तरणों में शासनादेश दिनॉक 21–4–2001 के प्रस्तर–6 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय ।

(5) अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण नीति से विचलन का औचित्य पाये जाने पर, संबंधित विभाग समय से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजेन्द्र मोनवाल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
5. सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।